



2026:AHC: 59748

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1849 वर्ष 2026

दानिश

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मो. आदिल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

#### न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान आवेदन थाना नखासा, जिला सम्भल स्थित चन्दौसी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 305 वर्ष 2024, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 121(1), 132, 324(5), 326(जी), 310(2), 223बी, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3/4 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मांगने के लिए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सके।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उसे उपर्युक्त वाद में गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि इस तथ्य के बावजूद कि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, फिर भी विवेचना अधिकारी ने सतही तरीके से आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त जिसका नाम गज़न्फ़र अली है, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अंतर्गत धारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



482 बी.एन.एस.एस. आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1857 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत दे दी गई है, जिस आदेश की प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है और उसे अभिलेख पर लिया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि एक अन्य सह-अभियुक्त जिसका नाम शाहनवाज है, को भी अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया है, जिसे दिनांक 24.02.2026 के आदेश में उल्लिखित किया गया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन का विरोध किया है।

5- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के खिलाफ संपूर्ण उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6- वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरण, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और वाद के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

7- अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8- पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक **दानिश** की गिरफ्तारी की स्थिति में, विचारण के निष्कर्ष तक उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षीगण को डराएगा-धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।
- (iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका आवेदक पर आरोप है, या जिसके किए जाने का संदेह है।
- (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

9- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

23 मार्च, 2026

एस.अली